

निविदा


राजस्थान इकाई में अफीम फसल वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न अफीम तौल केन्द्रों पर शामियाना, कनात एवं बिजली के सामान आदि किरायें पर सप्लाय करने हेतु सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। तौल कार्य 06 अप्रैल से चलने की संभावना है जिसकी अवधि सेन्टर के नीचे दर्शा रखी है।

क्र. सं.	आईटम का नाम	कोटा एवं झालावाड़ केन्द्र	प्रतापगढ़ मुख्य तौल केन्द्र	भीलवाड़ा मुख्य तौल केन्द्र	चित्तौड़गढ़ मुख्य तौल केन्द्र
	तौल का स्थल	झालावाड़	प्रतापगढ़	भीलवाड़ा	चित्तौड़गढ़
	तौल की अवधि	1 दिन	3 दिन	4 दिन	10 दिन
1	टेन्ट (15x15)	60	50	60	70
2	कनात (15x6)	60	50	30	30
3	दरी (10x8)	30	10	80	70
4	कुर्सी (Moulded)	60	75	70	80
5	टेबल	30	45	45	40
6	टेबल कवर	30	45	45	40
7	त्रिपाल (15x15)	30	50	10	20
8	पर्दे (15x10)	30	50	30	30
9	पानी के ड्रम	10	5	15	08
10	कूलर	15	25	30	15
11	पेडस्टल फेन	20	20	30	15
12	पलंग प्लाईवुड	10	10	35	15
13	जरनेटर 10 केवी	2	2	2	02
14	हेलोजन लाईट	10	10	25	15
15	ट्यूब लाईट	40	40	65	50
16	बल्ब 200 वॉट / सी. एफ. एल. 24 वॉट	20	20	25	25
17	बल्ब 100 वॉट	20	20	20	25
18	तख्ता लकड़ी	2	2	4	10
19	बिस्तर सेट	20	20	30	15
20	स्टेबलाईजर	2	2	2	2
21	माईक सेट	2	1	1	1
22	कारपेट (मेटिंग)	6000 sq.ft.	12000 sq.ft	4000sq.ft	7000sq.ft
23	बेरियर (बरीकेटीना)	-	2000रनिंगफिट	2000रनिंगफिट	2000रनिंगफिट
24	स्वीच बोर्ड	10	20	20	07

नियम एवं शर्तें

- उपरोक्त सामान की आपूर्ति संबंधित जिला अफीम अधिकारी के विभिन्न तौल केन्द्रों पर करनी होगी। समस्त सामान को तौल प्रारम्भ होने वाले केन्द्र पर पहुँचाने तथा तौल समाप्ति वाले केन्द्र से वापस उठाने की जिम्मेदारी स्वयं पाटी की होगी।
- तौल केन्द्र अनुसार निविदा देनी होगी। निविदा में प्रतिदिन किराये में सम्मिलित सर्विस टैक्स व अन्य टैक्स अलग -2 कर बताए।

17. निविदादाताओं को प्रति निविदा के हिसाब से धरोहर राशि रूपये 5000/- (पाँच हजार मात्र) नकद या ड्राफ्ट जो अधीक्षक कार्यपालक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा के नाम देय होगा, निविदा के साथ जमा कराना होगा।
18. प्रत्येक तौल केन्द्र पर जनरेटर चलाने व अन्य सामान के रख रखाव के लिए फर्म का एक व्यक्ति हमेशा केन्द्र पर रहेगा जिसका कोई व्यय विभाग द्वारा नहीं दिया जायेगा।
19. सभी सामान प्रत्येक डिविजन की आवश्यकतानुसार सही हालत में सप्लाई करना होगा। सामान की टूट फूट व खोने की जिम्मेदारी फर्म की अपनी होगी। इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार/क्लेम मान्य नहीं होगा।
20. निविदादाता अपनी मोहरबन्द निविदा जिस पर निर्दिष्ट डिविजन व तौल केन्द्र का नाम व मद अंकित हो, इस कार्यालय में दिनांक 31.03.2016 को 14.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसे दिनांक 31.03.2016 को 15.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।
21. इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए इस कार्यालय में 10.00 बजे से 18.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।
22. फर्म द्वारा सप्लाई किया गया सामान व उसकी देखभाल संतोषजनक नहीं होने पर फर्म का भुगतान रोका जा सकता है, अथवा कटौती की जा सकती है। यदि कोई सामान पुराना व खराब पाया जाता है तो जि.अ.अ. अन्य फर्मों से सामान हंगवा सकते हैं, जिसका भुगतान निविदादाता के भुगतान से काटा जायेगा।
23. निविदादाता दर देते समय कृपया ध्यान रखें कि इस सामानों के साथ उपयोग में आने वाले आवश्यक सामान यथा बॉक्स, रस्सी अथवा बिजली के तार, प्लग बोर्ड, एम.सी.बी., पेनल बोर्ड आदि शामिल है। इसके लिए अलग से कोई चार्ज विभाग द्वारा देय नहीं है।
24. शामियाना एवं अन्य सामानों की क्वालिटी उत्तम होनी चाहिए। यदि शामियाना, दरियाँ, कारपेट तथा अन्य सामानों की क्वालिटी खराब अथवा निम्न स्तर की पाई गई तो बिल की राशी में कटौती की जाएगी।
25. अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए एक या सभी निविदा को निरस्त करे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा। सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
26. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही कोटा न्यायालय के अधीन होगी।
27. केवल वही फर्म निविदाएं प्रस्तुत करे जो आयकर रिटर्न भरती है। पिछले वर्ष की आयकर रिटर्न तथा पेन कार्ड की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करें।
28. उक्त निविदा इस विभाग की वेब साईट www.cbn.nic.in पर भी उपलब्ध है।




(दिनेश बौद्ध)

उप नारकोटिक्स आयुक्त
कोटा, राजस्थान

प्रतिलिपि सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. श्रीमान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को इस विभाग की वेब साईट www.cbn.nic.in पर देने का श्रम करें।
2. जिला अफीम अधिकारी, झालावाड़/ चित्तौड़गढ़ - 1/ भीलवाड़ा/ प्रतापगढ़ को इस आशय से प्रेषित है कि आप आपके इलाके में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मों को सूचित करें।



अधीक्षक (कार्यपालक)
कोटा राजस्थान